न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 12/2021

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
अशोक कुमार पुत्र उतमाराम जाति जाट निवासी हाजाणियों की ढाणी हाडाला तहसील व जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.01.2021 जो सरकार बनाम अशोक कुमार के प्रकरण सं. 95/2020 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 02.08.2021

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22 के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 95/2020 सरकार बनाम अशोक कुमार मे पारित निर्णय दिनांक 27.01.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर श्री विनोद परमार एवं प्रवर्तन अधिकारी बाड़मेर श्री खेमाराम द्वारा दिनांक 15.05.2020 को अपीलार्थी अशोक कुमार की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के बाहर दुकान का नाम एवं रंग रोगन किया हुआ नहीं पाया गया, साईन बोर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:39:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

दूरभाष बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया गया तथा मौके पर उपभोक्ताओं के लिये गये बयान अनुसार उचित मूल्य विक्रेता द्वारा पोश मशीन से ट्रांजेक्शन कर उपभोक्ताओं के गेंहू का दुरूपयोग किये जाने की अनियमितताऐं पाई गई। इस पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकानदार का अनुज्ञा पत्र आदेश दिनांक 19.05.2020 के द्वारा निलम्बित करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 10.07.2020 पर प्रकरण मे सुनवाई करते हुए अधिनस्थ अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2021 के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.02.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर कर उत्तरदाता को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी के नाम ग्राम हाजाणियों की ढाणी हेतु जारी उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त करने मे विधि एवं तथ्यात्मक भूल की गई है, जिससे उक्त आदेश खारिज योग्य है।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ अधिकारी द्वारा की गई जांच मे अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान से रसद सामग्री वितरण मे 18 व्यक्तियों द्वारा [illegible] शिकायत सम्पूर्ण जांच में पूर्णतया निराधार मानी गई। [illegible] जो 5 व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई थी उनमे से उमाराम नाम का व्यक्ति माह फरवरी का गेंहू न तो लेने आया और न ही उसे गेंहू अपीलांट द्वारा दिया गया, ऐसे में गबन

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:39:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

का मामला प्रथमदृष्ट्या बनता ही नही हैं। इसी प्रकार शिकायतकर्ता किशनाराम को मई 2020 में 40 किलोग्राम गेंहू का वितरण किया जाकर राशन कार्ड में इन्द्राज किया गया हैं। शिकायतकर्ता देवाराम को राज्य सरकार के निर्देशानुसार 10 किलोग्राम गेंहू वितरित किया गया हैं जिसे शिकायतकर्ता ने ही स्वीकार किया हैं। इसके अलावा उपभोक्ता कानाराम द्वारा सितम्बर 2019 में गेहूं नही दिये जाने का आक्षेप लगाया गया हैं जबकि वह जून 2017 से अक्टूम्बर 2019 तक उचित मूल्य दुकान पर न तो उपस्थित हुआ और न ही उसके द्वारा गेंहू उठाया गया हैं। वह माह दिसम्बर 2019 में उपस्थित हुआ तथा पोश मशीन में अंगुष्ठ देने के बाद गेंहू लेकर गया हैं। इस प्रकार इन पांचों व्यक्तियों को भी नियमानुसार गेंहू का वितरण किया गया हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर विधि से परे जाकर जांच करते हुए अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हैं। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं।

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। उपभोक्ताओं द्वारा राजनैतिक रंजिशवश शिकायत की गई है तथा उनके मौखिक कथनों के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया हैं। अपीलांट द्वारा कोरोना महामारी में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाईडलाईन के अनुसार ही खाद्य सामग्री का वितरण किया गया था ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या स्थापित है कि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा आनन–फानन में समस्त तथ्यों की जांच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को वर्ष 2017 में उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र मिला था तथा इन तीन [illegible] की अवधि के दौरान अपीलांट की दुकान पर लिखे गये [illegible] धुंधले हो जाने से पुनः रंग–रोगन हेतु दिये गये थे। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई जांच के दि नही उक्त दोनो बिन्दुओं की पूर्ति कर ली गई थी किन्तु विभागीय प्रकरण में

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:39:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

इसका पुनः सत्यापन नहीं कराया गया तथा अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हैं जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2021 को खारिज फरमाया जावें।

6. उत्तरदाता की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री के वितरण में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर एवं प्रवर्तन अधिकारी बाड़मेर द्वारा संयुक्त जांच की गई। वक्त निरीक्षण अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान पर तीन प्रमुख अनियमितताऐं पाई गई तथा उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर विभागीय निर्देशों एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर, कारण बताओं नोटिस जारी किया गया एवं अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर अधिनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण मे पाई गई गम्भीर अनियमितताऐं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 3, 6, 17(सी), 18 व 20 का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमे किसी प्रकार कोई विधि या तथ्य की भूल नही की गई है तथा इस आदेश के विरूद्ध यह प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार के अभिकथनों पर मनन किया गया। यह पाया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को राशन सामग्री के वितरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:39:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर एवं प्रवर्तन अधिकारी बाड़मेर द्वारा मौके पर पहुंच कर शिकायतकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत राशनकार्डो की जांच की गई । अपीलार्थी को अधिनस्थ कार्यालय की ओर से जारी प्राधिकार पत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने की अनुशंषा की गई। इस पर अधिनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा नोटिस का जवाब दिनांक 10.07.2020 को प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया कि शिकायत में उल्लेखित उपभोक्ताओं को गेंहू का वितरण कर दिया गया हैं तथा नोटिस में लगाये गये आक्षेप सं. 1, 2 व 3 के क्रम में दुकान के बाहर दुकान का नाम व रंग रोगन करवा दिया हैं तथा स्टॉक बोर्ड, दूरभाष बोर्ड प्रदर्शित कर दिया गया हैं। अपीलार्थी का जवाब संतोषजनक नहीं मानते हुए अधिनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब एवं इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में यह स्वीकार किया हैं कि वक्त निरीक्षण दुकान पर नाम एवं स्टॉक बोर्ड एवं दूरभाष बोर्ड प्रदर्शित नहीं थे तथा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा आक्षेप लगाये जाने के उपरांत उक्त आक्षेपों की पूर्ति की गई हैं। इसी प्रकार उपभोक्ताओं को गेंहू का वितरण कर दिये जाने के जवाब का भी सत्यापन प्रवर्तन अधिकारी से कराये जाने पर पूर्ण रूप सत्यापित होना नहीं पाया गया हैं, इससे स्पष्ट हैं कि अपीलार्थी ने जानबूझकर अपनी अनियमितताऐं छिपाने के लिए जो मनगढ़त जवाब प्रस्तुत किया जो संतोषजनक प्रतीत नही होता हैं। इस प्रकार अधिनस्थ कार्यालय एवं इस न्याय[illegible] समक्ष मनगढ़त तथ्य प्रस्तुत कर गुमराह करने का प्रयास किया गया हैं। [illegible] में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:39:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ कार्यालय जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2021 यथावत बहाल रखा जाता हैं तथा जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलार्थी द्वारा किये गये 145 किलोग्राम गेंहू के अनियमित रूप वितरण की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:39:06 IST
Reason: SelfAttested